दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/556
दिनांक: 05.11.2026

को,
Plexconcil/ COA के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कंटेनर की उपलब्धता और एक्सपोर्टर्स के लिए प्रस्तावित सपोर्ट उपायों से जुड़े मुद्दे और सुझाव

इनलैंड फ्रेट और कंटेनर कॉस्ट के लिए प्रस्तावित सपोर्ट उपायों के बारे में आज डायरेक्टर जनरल (DG), DGFT की चेयरपर्सनशिप में हुई मीटिंग के संदर्भ में, मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे इन बातों पर अपने **सुझाव के साथ अपनी दिक्कतें शेयर करें:**

1. देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा लागत के कारण एक्सपोर्टर्स के सामने आने वाली चुनौतियाँ।

2. कंटेनर की उपलब्धता, पहुंच और उससे जुड़ी लागतों से जुड़े मुद्दे।

3. प्रस्तावित सपोर्ट उपायों के दायरे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लागू करने के तरीके पर सुझाव।

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे आज शाम 5pm तक bharti@plexconcil.org ; shilpa@plexconcil.org पर अपने इनपुट्स शेयर करें ताकि हम अथॉरिटीज़ को कंसोलिडेटेड रिकमेन्डेशन्स सबमिट कर सकें।

साभार

भारती परावे
निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल